प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 09.07.2024

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की 01 मोटर साइकिल व 02 फर्जी नंबर प्लेट बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 08.07.2024 को थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग / गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहन चोरी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त गुरुपाल सिंह पुत्र सुमित्र पाल सिंह निवासी 3 बी / 26 विष्णु गार्डन नियर सुभाष नगर दिल्ली उम्र 29 वर्ष को शिप्रा प्लाजा मार्केट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की 01 मोटर साइकिल व 02 फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

गुरुपाल सिंह पुत्र सुमित्र पाल सिंह निवासी 3 बी / 26 विष्णु गार्डन नियर सुभाष नगर दिल्ली उम्र 29 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:

- फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की 01 मोटर साइकिल व 02 फर्जी नंबर प्लेट बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम।

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा उड़ीसा से एनसीआर क्षेत्र में गाँजे की तस्करी/बिक्री करने वाला 01 शातिर अन्तर्राज्यीय गाँजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से करीब 60 लाख रू0 कीमत का 120 किलोग्राम नाजायज गांजा व तस्करी में प्रयुक्त कैण्टर गाडी बरामद

दिनांक-09/07/2024 को क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 01 अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर को मेरठ रोड मुरादनगर थाना क्षेत्र मुरादनगर से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। गिरफ्तार गाँजा तस्कर उड़ीसा राज्य से कैण्टर वाहन मे गांजा छिपाकर दिल्ली, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश सप्लाई करने के लिए तस्करी करके ला रहा था जिसके कब्जे से कुल 120 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 60 लाख रू0 है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त संतोष ने बताया कि वह 12वीं पास है उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब थी तथा छोटा भाई गूंगा व बहरा है इसीलिए यह बडी गाडी (ट्रक व कैन्टर) की ड्राइवरी का काम करके अपना घर चलाता था लेकिन गाडी ड्राईविंग के काम में उसे ज्यादा फायदा नहीं होता था तो वह अनोज पुत्र शिवराम सिंह निवासी नगला हरिसिंह पोस्ट मोजपुर शहजादपुर जनपद-मैनपुरी के सम्पर्क मे आया जो उडीसा राज्य से गाँजा तस्करी करने व करवाने का काम करता है अनोज ने संतोष को बताया कि उडीसा राज्य से गाँजे की तस्करी करने मे काफी फायदा होता है तो वह अनोज के साथ मिलकर उडीसा से गाँजा तस्करी का काम करने लगा। गाँजा तस्करी के लिए पैसे व गाडी अनोज उपलब्ध कराता था। उडीसा राज्य से गाँजे की तस्करी करके लाने पर उसे अनोज से प्रत्येक चक्कर के 40 से 50 हजार रू0

मिलते थे। संतोष उपरोक्त ने बताया कि वर्ष 2021 मे वह उडीसा से लाकर गाँजा तस्करी में जनपद मैनपुरी से जेल जा चुका है। जेल से छूटने के बाद पुनः अपना गिरोह बनाकर गाँजा तस्करी करने लगा। जिसमें वर्ष 2022 मे गैगस्टर मे जेल गया । जेल में करीब 09 माह रहने के बाद जमानत पर बाहर आकर पुनः तस्करी अपराध में संलिप्त होकर मादक पदार्थो की तस्करी करने लगा और माँग के अनुसार सप्लाई करने लगा । अभियुक्त ने पूछताछ पर यह भी बताया कि वह कैन्टर गाडी में उडीसा से गांजा लोड करके चलता हैं तो अपना फोन बन्द कर लेता हैं और किसी से भी कोई सम्पर्क नहीं करता हैं। जब तक कि माल को उसके तयशुदा जगह पर ना पहुँचा दें। गिरफ्तार अभियुक्त गाँजा तस्करी का काम करीब 4-5 वर्षो से कर रहा है। गाँजा तस्करी के काम में कई गुना फायदा होता है जिससे यह अपने घर के खर्चे व शौक पूरा करता है।

अभियुक्त से पूछताछ पर एन0सी0आर0 क्षेत्र मे गाँजे का क्रय-विक्रय करने वालो के सम्बन्ध मे कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई है जिसके आधार पर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीमें बनाकर दविशें दी जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.संतोष पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम हीरापुर थाना मिरहची जनपद-एटा उम्र करीब 22 वर्ष

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण –

1.गांजा नाजायज - 120 किलोग्राम

2.तस्करी मे प्रयुक्त कैन्टर रजिस्ट्रेशन न0-UP 84AT 2528

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त संतोष के विरूद्ध जनपद-मैनपुरी मे 02 व गाजियाबाद मे 01, कुल 03 अभियोग मादक पदार्थो की तस्करी के सम्बन्ध में पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा एनसीआर में वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 09.07.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों (1) गणेश उर्फ कल्लू पुत्र स्व0 सोमनाथ निवासी गली नं0 7, इंदिरा एनक्लेव, गोविन्दपुरम, थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष (2) अमित शर्मा पुत्र धर्मवीर शर्मा निवासी छिजारसी, सेक्टर 63 नोएडा थाना सेक्टर 71 जनपद गौतमबुद्धनगर हाल पता मकान नं0 5, गली नं0 1, शिव मंदिर के सामने, बिहारीपुरा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष को रिछपाल गढी की पुलिया के पास से चोरी की 04 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा आदि क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी कर आसपास के क्षेत्रों में सस्ते दामों पर बेच देते हैं तथा अपने शौक पूरे करते हैं। जो हमसे मोटरसाइकिलें आपने बरामद की हैं, ये हमने अलग अलग जगह से मौका पाकर चोरी कर ली थी। हम इन्हें बेचने की फिराक में थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

(1) गणेश उर्फ कल्लू पुत्र स्व0 सोमनाथ निवासी गली नं0 7, इंदिरा एनक्लेव, गोविन्दपुरम, थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष

(2) अमित शर्मा पुत्र धर्मवीर शर्मा निवासी छिजारसी, सेक्टर 63 नोएडा थाना सेक्टर 71 जनपद गौतमबुद्धनगर हाल पता मकान नं0 5, गली नं0 1, शिव मंदिर के सामने, बिहारीपुरा थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

(1) मोटरसाइकिल रजि0नं0 DL3SBN1800, चैसिस नं0 MBLHA10EJ89L10138 सम्बन्धित मु0अ0सं0 0215/24 धारा 379 भादवि थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद

(2) मोटरसाइकिल रजि0नं0 UP19 0724 चैसिस नं0 MBLHA10KDCHA08666 सन्बन्धित मु0अ0सं0 0220/24 धारा 379 भादवि थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद

(3) मोटरसाइकिल रजि0नं0 UP15DN7686 चैसिस नं0 MBLHAW11XMHG83264 सम्बन्धित मु0अ0सं0 0236/23 धारा 379 भादवि थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर

(4) मोटरसाइकिल रजि0नं0 DL14SR3770 चैसिस न0 MBLHAW170NHJ24583 सम्बन्धित मु0अ0सं0 036589/23 ई पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास</u>

(1)- अभियुक्त गणेश उर्फ कल्लू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास- (1) 222/24 धारा धारा 317(2),317(5) BNS थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद (2) मु0अ0सं0 0215/24 धारा 379 भादवि थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गा0बाद (3) मु0अ0सं0 0220/24 धारा 379 भादवि थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गा0बाद (4) मु0अ0सं0 0236/23 धारा 379 भादवि थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर (5) मु0अ0सं0 036589/23 ई पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली (6) मु0अ0सं0 510/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना सैक्टर-63 जनपद गौतमबुद्ध नगर (7) मु0अ0सं0 726/23 धारा 411/414 भा0द0वि0 थाना कविनगर गाजियाबाद।

(2)- अभियुक्त अमित शर्मा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास- (1) 222/24 धारा धारा 317(2),317(5) BNS थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद (2) मु0अ0सं0 0215/24 धारा 379 भादवि थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गा0बाद (3) मु0अ0सं0 0220/24 धारा 379 भादवि थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गा0बाद (4) मु0अ0सं0 0236/23 धारा 379 भादवि थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर (5) मु0अ0सं0 036589/23 ई पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-</u>

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 08.07.2024 को गश्त व चेकिंग के दौरान कल्लूगढी कट से वाहन चोरी करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद हुई है । बरामद मोटरसाइकिल के संबंध में दिल्ली में अभियोग पंजीकृत है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि ये मोटरसाइकिल मैंने कुछ दिन पहले दिल्ली से चोरी की थी। मैं मौका देखकर मोटरसाइकिल चोरी कर लेता हूँ, पूर्व में भी जेल जा चुका हूँ। मोटरसाइकिल चोरी कर आसपास के क्षेत्रों में सस्ते

दामों पर बेचकर अपने शौक पूरे करता हूँ, मैं इस मोटरसाइकिल को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में गाजियाबाद से बागपत की तरफ जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –</u>

मो0 सैफ उर्फ फुरकान पुत्र लियाकत निवासी मुर्गी फार्म वार्ड न0 11 डासना थाना वेव सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र 25 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरण</u>

चोरी की एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो।

<u>अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा पूर्व में थाना मसूरी पर वाहन चोरी/बरामदगी के 03 अभियोग व थाना भोजपुर पर वाहन चोरी/बरामदगी का 01 अभियोग व थाना वेव सिटी पर NDPS ACT का 01 अभियोग पजीकृत हैं व वाहन चोरी का 01 अभियोग दिल्ली में पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम</u>

थाना मसूरी पुलिस टीम

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 01 अवैध पिस्टल व 02 कारतूस .32 बोर बरामद।

दिनांक 21/22.06.2024 की रात्रि में थाना निवाड़ी पर सूचना प्राप्त हुई की जंगल ग्राम खिंदौडा में खेत में पानी चलाने के विवाद को लेकर तीन व्यक्तियों को गोली मार दी गयी है जिसमें से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी तथा 01 व्यक्ति को गम्भीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना निवाडी पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर तत्काल घटनास्थल पर पहुँचा गया तथा फील्ड यूनिट टीम व डॉग स्कवायड टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया व शवों के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। उच्चाधिकारीगणों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। दिनांक 22.06.2024 को थाना निवाडी पर वादी बिलाल पुत्र मान निवासी ग्राम रसूलपुर धोलडी थाना जानी मेरठ ने तहरीर दी जिसके आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 22.06.2024 को ही घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों बिट्टू, दीपक व सुधीर नि0गण ग्राम खिंदौडा को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त दीपक की निशादेही पर आलाकत्ल 01 अवैध पिस्टल व 01 जिंदा कारतूस .32 बोर बरामद किया गया एवं दिनांक 27.06.2024 को 02 अभियुक्तों मोहित उर्फ बादशाह पुत्र सुशील व लवली पुत्र संजीव को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

कल दिनांक 08-07-2024 को स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियोग में वांछित 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी दीपक पुत्र कांति प्रसाद निवासी ग्राम खिंदौडा थाना निवाडी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल व निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अवैध पिस्टल व 02 जिंदा कारतूस .32 बोर बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

पूछताछ के दौरान अभियुक्त दीपक पुत्र कांति उपरोक्त ने बताया कि हमारे गांव के सुधीर व उसके पुत्र दीपक व बिट्टू का मृतक पप्पू व उसके लडकों से खेत में पानी लगाने को लेकर झगडा हो गया था। इसी बात को लेकर विपक्षी ने उन्हे यह धमकी दी थी कि तुम लोग कल सुबह का सूरज नही देख पाओगें। जब ये बात सुधीर व उसके पुत्रों ने हमें बतायी तो हमने सुधीर से कहा कि आप चिंता मत करों ये लोग खुद ही कल का सूरज नही देख पायेगें। उसके बाद मोहित उर्फ बादशाह ने

मुझसे 02 पिस्टल व कारतूस उपलब्ध कराने हेतु कहा गया तो मैने मेरे पास पहले से ही रखे 02 पिस्टल व कारतूस मोहित उर्फ बादशाह को दे दिये । फिर हम लोग योजना के अनुसार घटनास्थल पर पहुंचे तथा उसके बाद दीपक पुत्र सुधीर व मोहित उर्फ बादशाह ने अपनी अपनी पिस्टल से पप्पू व उसके लडको पर गोलियां चलायी थी जिसमें पप्पू व उसका एक लडका मर गया तथा एक घायल होकर वहां से भाग गया था। पप्पू व उसके दूसरे लडके के शव एवं उनकी मोटरसाइकिल को छिपाने के लिये हमने रजवाहा/ बम्बा में फैंक दिया था।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

दीपक पुत्र कांति प्रसाद निवासी ग्राम खिंदौडा थाना निवाडी, गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष,

<u>अपराधिक इतिहास-</u>

अभियुक्त दीपक उपरोक्त के विरुद्ध थाना निवाडी पर हत्या, मारपीट के 02 अभियोग पंजीकृत है,

<u>बरामदगी का विवरणः</u>-

1.घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल व 02 जिंदा कारतूस .32 बोर बरामद

2.घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद,

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 09.07.2024 को थाना भोजपुर पर वादी श्री सोहनपाल पुत्र श्री स्व0श्री मथम सिहं निवासी ग्राम खजूरबाला मुकीमपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद ने एक लिखित तहरीर दी कि मेरे छोटे पुत्र भूपेन्द्र पुत्र श्री सोहनपाल निवासी ग्राम खजूरबाला मुकीमपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद द्वारा मेरे बडे पुत्र पुष्पेन्द्र के साथ मारपीट कर हत्या कर दी है। उपरोक्त सूचना पर थाना भोजपुर पुलिस द्वारा त्वरित अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। तत्पश्चात आज दिनांक 09.07.2024 को ही थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर घटना कारित करने वाले अभियुक्त 1- भूपेन्द्र पुत्र श्री सोहनपाल निवासी ग्राम खजूरबाला मुकीमपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 38 वर्ष को अबलपुर बम्बा के पास यात्री शैड से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मेरे ताऊ श्री ओमकार की मृत्यु के उपरान्त उनकी पुत्री श्रीमती रिंकी का हमारे घर आना-जाना था। मै भी अपने बहन के पास गांव छज्जूपुर थाना परतापुर मेरठ में रहता हूँ। मेरा बडा भाई जो शराब पीने का आदि था वह मेरी बहन रिंकी को देखकर चिडता था। माह जून -2024 में मैं अपनी बहन के साथ अपने गांव खजूरबाला मुकीमपुर आया था। हम दोनो के घर पर आने के बाद मेरा भाई पुष्पेन्द्र रिंकी के साथ गाली-गलौच करने लगा था और सिर में डण्डा मारकर घायल कर दिया था। जब मैने अपने भाई से मारपीट के बारे में पूछा तो मेरे साथ भी गाली-गलौच की थी और मुझे तथा रिंकी को घर से धक्का देकर निकाल दिया था। मैने तभी कसम खायी थी की जैसे रिंकी का सिर फोडा है। मै भी अपने भाई पुष्पेन्द्र का सिर फोडकर बदला लूंगा। दिनांक 08.07.2024 को मै अपने घर पर आया था। कल भी मेरे भाई ने मेरे साथ गाली-गलौच की थी। मै अपने भाई को समझा बुझाकर शाम के लगभग 07.00 बजे के आस-पास गढी मोड पर ले गया था। वहां पर मैने अपने भाई को शराब पिलायी थी। जब मेरे भाई को शराब का नशा हो गया था। मैने अपनी मो0सा0 पर पूर्व से रखे चौकोर डण्डा से अपने भाई के सिर पर वार किया था। जिससे मेरे भाई का सिर फट गया था उसके बाद मैने डण्डा से भाई के हाथ -पैर, शरीर पर ताबातोड वार किये थे। जब मेरा भाई अचेत हो गया था। मै अपने भाई को छोडकर वहां से भाग गया था।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

घटना में प्रयुक्त एक डण्डा खून लगा हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

भूपेन्द्र पुत्र श्री सोहनपाल निवासी ग्राम खजूरबाला मुकीमपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 38 वर्ष

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

थाना भोजपुर पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 बैट्री (कार की) बरामद।

<u>कार्यवाही का विवरणः</u> दिनांक 26.05.2024 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी विक्रम सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह निवासी एसबी 29, फ्लेट नंबर 201, बी ब्लाक शालीमार गार्डन द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा 05 कारों की बैटरी चोरी हो गई है। तत्काल थाना शालीमार गार्डन पर अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 09.07.2024 को उक्त घटना को कारित करने वाले शातिर अभियुक्त जावेद पुत्र मरहूम तोला निवासी म0नं0 50 गली नं0 2 सुंदर नगरी थाना नन्द नगरी दिल्ल उम्र 22 वर्ष को शिव मंदिर सैक्टर 3 राजेन्द्र नगर वजीराबाद रोड पर बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 04 बैटरी बरामद हुई। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः</u>

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैने यह बैट्री शालीमार गार्डन बी ब्लाक से चोरी की गयी थी। इन बैट्री को चलते फिरते व्यक्तियों को सस्ते दामों में बेच देता हूँ और जो रुपये मिलते है। उन्ही से अपने व अपने परिवार वालों का खर्चा चलाता हूँ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः</u>

जावेद पुत्र मरहूम तोला निवासी म0नं0 50 गली नं0 2 सुंदर नगरी थाना नन्द नगरी दिल्ल उम्र 22 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरणः</u>

- चोरी की 04 बैट्री (कार की) बरामद।

<u>अभियुक्त का अपराधिक इतिहास</u>

- अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी का 01 अभियोग, थाना टीलामोड पर चोरी का 01 अभियोग, जनपद बुलन्दशहर में आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग व हत्या के प्रयास का 01 अभियोग पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः</u>

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।